प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 42 / 2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

विषय: भादूविप्रा ने "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर अनुशंसाओं" विषय पर दिनांक 20.02.2023 को जारी अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के बैक-रेफरेंस का उत्तर दिया ।

नई दिल्ली 22 मई 2024 — भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर अनुशंसाओं" विषय पर भादूविप्रा द्वारा दिनांक 20.02.2023 को जारी अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त बैक-रेफरेंस दिनांक 19.03.2025 पर अपना उत्तर जारी किया।

2. हमारी जीवनशैली और काम करने के तरीके के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। दरअसल, पिछले दशक में डिजिटलीकरण में तेज़ी से हुई वृद्धि ने दुनिया में क्रांति ला दी है, जिसका असर अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, स्थिरता, शासन और जीवनशैली तक हर जगह पड़ा है।

3. विगत में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) और सरकार ने दूरसंचार कनेक्टिविटी की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतिगत कदम उठाए हैं। इस संबंध में भादूविप्रा द्वारा पूर्व में दी गई प्रमुख अनुशंसाएं 25 मार्च 2022 को जारी 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग' विषय पर परामर्श पत्र के अनुलग्नक II में दी गई हैं। इन नीतिगत हस्तक्षेपों ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद की है। हालांकि, प्राधिकरण ने पाया कि ये सभी प्रयास विशेष रूप से इमारतों या क्षेत्रों के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी के वांछित स्तर को प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

4. प्राधिकरण ने पाया कि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का भवन संचालन और भविष्य के कार्यस्थल के साथ का संगम, अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए स्मार्ट एवं डिजिटल रूप से जुड़े स्थान बनाने हेतु, भवन मालिकों, ऑपरेटरों और रहने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर रहा है। ऐसी मांग को पूरा करने के लिए, डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (DCI) के विकास को भवनों के लिए बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। हालाँकि, मौजूदा ढांचे में कई मुद्दे हैं जो अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी की माँगों को पूरा करने में बाधा बन रहे हैं।

5. प्राधिकरण ने यह भी पाया कि भवनों के विकास के संबंध में, प्रासंगिक अधिनियम, उपनियम और विनियम मॉजूद हैं जो पानी, बिजली, गैस, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा और अन्य प्रावधानों के लिए न्यूनतम या जरूरी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। स्थानीय निकाय और प्राधिकरण, भवनों के निर्माण के विभिन्न चरणों में अनुमोदन प्रदान करके और निर्माण के दौरान पर्यवेक्षण और ऐसी सुविधाओं के उपयोग के लिए अनुमोदन देकर इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (TCPO) द्वारा प्रकाशित मॉडल बिल्डिंग बायलॉज (MBBL) में सभी भवन सेवाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं। राज्य, विकास संबंधी गतिविधियों के लिए अपने संबंधित राज्य उपनियमों में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज (MBBL) के प्रावधानों को अपनाते हैं।

6. इस संदर्भ में, प्राधिकरण ने सामंजस्यपूर्ण तरीके से इन-बिल्डिंग डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग' पर सरकार को दिनांक 20.02.2023 को व्यापक अनुशंसाएं प्रस्तुत की थीं। ये अनुशंसाएं वर्तमान संदर्भ में और इमारतों के अंदर निर्बाध 5G और आगामी

6G सेवाओं को प्राप्त करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए अधिक प्रासंगिक हैं। 5G और आगामी 6G एक्सेस नेटवर्क उच्च गति की डाटा स्पीड देने के लिए उच्च आवृत्ति के बैंड का उपयोग करती है लेकिन दीवारों और भवन निर्माण सामग्री के कारण उच्च आवृत्ति के बैंड के क्षीण होने की दर अधिक हो जाती है।

7. दूरसंचार विभाग ने दिनांक 19.03.2025 के बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा की दिनांक 20.02.2023 की "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर अनुशंसाओं" में से कुछ अनुशंसाओं पर भादूविप्रा से स्पष्टीकरण मांगा था।

8. इस मामले में जॉच करने के बाद भादूविप्रा ने बैक-रेफरेंस दिनांक 19.03.2025 पर अपने उत्तर को अंतिम रूप दिया है। बैक-रेफरेंस पर भादूविप्रा का उत्तर भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलबध कर दिया गया है।

9. बैक-रेफरेंस पर भादूविप्रा के उत्तर से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस-I), भादूविप्रा से ईमेल: adv-qos1@trai.gov.in या टेलीफोन नंबर +91-11-20907759 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 22/5/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा